mail

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

क्रमांकः न्याय/कोरोना/2020/22834 दिनांक 27 अप्रेल, 2020

:: आदेश अन्तर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता ::

भीलवाडा मे नोवल कोरोना वायरस (**COVID-19**) से संक्रमित व्यक्तियों के चिन्हित होने एवं संक्रमण फैलने की सम्भावनाओं के मध्यनजर नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक परिशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से **भीलवाड़ा जिले की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में** दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत इस कार्यालय के आदेश समसंख्यक क्रमांक 22459 दिनांक 19 मार्च 2020 से एवं उक्त आदेश की निरन्तरता में कार्यालय आदेश क्रमांक 22538 दिनांक 31.03.2020 से निषेधाज्ञा लागू की गई है।

उक्त जारी निषेधाज्ञा के क्रम में जिले के उपखण्ड क्षेत्र गुलाबपुरा में नोवल कोरोना वायरस (**COVID-19**) से संक्रमित व्यक्ति पाये जाने से भीलवाड़ा जिले की वर्तमान परिस्थितियों, **COVID-19** कोरोना वॉयरस के सक्रमंण से बचाव/नियंत्रण एवं मानवीय जीवन की रक्षा/सुरक्षा के मध्यनज़र मुझे यह समाधान हो गया है एवं मै संतुष्ट हूँ कि ऐसी स्थिति मे दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के क्रम में **जिले के उपखण्ड क्षेत्र गुलाबपुरा की सम्पूर्ण शहरी सीमा क्षेत्र में उक्त जारी निषेधाज्ञा को सख्त किया जावें।**

अतः मैं **राजेन्द्र भट्ट, (आई.ए.एस.) जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा** ऐसी स्थिति में **जिले के उपखण्ड क्षेत्र गुलाबपुरा की सम्पूर्ण शहरी सीमा क्षेत्र में** निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक परिशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत सख्त निषेधाज्ञा लागू करता हूँ एवं यह आदेश देता हूँ कि :–

1. कोरोना वायरस के संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए भीलवाडा जिले के उपखण्ड क्षेत्र गुलाबपुरा की सम्पूर्ण शहरी सीमा क्षेत्र में निवासरत व्यक्तियों का अपने आवास से बाहर आवागमन साधारणतया प्रतिबन्धित रहेगा।

2. उपखण्ड़ गुलाबपुरा के शहरी क्षेत्र में अवस्थित समस्त व्यवसायिक एवं औद्योगिक प्रतिष्ठान, फैक्ट्री (चिकित्सकीय सेवाओं को छोडकर) शिक्षण संस्थान, रेस्टोरेन्ट होटल, खोमचे, खाने–पीने इत्यादि की वस्तु रखने वाले ठेले, मांस विक्रय केन्द्र, दुकाने एवं फेरी वाले बन्द रहेंगे तथा समस्त सामूहिक मानवीय गतिविधिया, रैली, जुलूस, सभा इत्यादि पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगी।

3. प्रतिबन्धित क्षेत्र में समस्त प्रकार के निजी भारी एवं हल्के मोटर व्हीकल्स का आवागमन भी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। दुपहिया वाहन अत्यावश्यक स्थिति में ही आवागमन करेंगे।

4. सक्षम अधिकारी द्वारा राजकीय कार्मिकों तथा आवश्यक सेवाओं यथा–नगर पालिका (सफाई व्यवस्था), विद्युत विभाग, जलदाय विभाग, चिकित्सा विभाग आदि की सुगमता से पहुंच हेतु जारी किये गये समस्त पास तथा कर्मचारियों के लिये उनके कार्यालयाध्यक्ष द्वारा जारी किये गये परिचय पत्र अधिकृत/मान्य होगें एवं उनके आवागमन के साधन उपयोग में लिये जाने हेतु अधिकृत होगें।

5. निषेधाज्ञा अवधि के दौरान प्रतिबन्धित क्षेत्र में निवासरत व्यक्तियों/परिवारों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुये सीमित संख्या में उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट द्वारा अनुमत **किराना/जनरल स्टोर्स द्वारा तहसीलदार हुरड़ा के निर्देशन एवं पर्यवेक्षण में खाद्य सामग्री की तथा कृषि उपज मण्ड़ी द्वारा नायब तहसीलदार हुरड़ा के निर्देशन एवं पर्यवेक्षण में फल–सब्जियों की** उपभोक्ताओं/कस्बावासियों को **डोर–टू–डोर डिलेवरी** की जा सकेगी। **इस हेतु उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट द्वारा सीमित संख्या में औचित्यपूर्ण पासजारी किये जा सकेंगें। उक्त शिथिलता में**

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा (राज.)

.... 2

:: Nitin :: Covid-19/ CRPC-144

यह विशेष रूप से ध्यान रखा जावें कि अनुमत प्रतिष्ठानों द्वारा अपने प्रतिष्ठान बन्द रखे जाकर सामग्री की **डोर–टू–डोर डिलेवरी ही की जावें, किसी भी स्थिति में उपभोक्ताओं को उनके प्रतिष्ठानों पर नहीं बुलवाया जावें एवं ना ही इस हेतु जन साधारण द्वारा अनावश्यक उनके घर से बाहर आवागमन किया जावें।**

6. प्रतिबन्धित क्षेत्र में उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा आवश्यकतानुसार सीमित संख्या में डेयरी बुथ खोलने हेतु अनुमत किया जाकर करबावासियों को **दुध की डोर–टू–डोर डिलेवरी करवाई जावेगी,** इस हेतु उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा डेयरी संचालको को जारी किये गये पास मान्य रहेगें।

7. प्रतिबन्धित क्षेत्र में उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा आवश्यकतानुसार सीमित संख्या में **मेड़िकल स्टोर्स खोलने हेतु** अनुमत किया जाकर कस्बावासियों को **दवाईयों की डोर–टू–डोर डिलेवरी करवाई जावेगी।** इस हेतु उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा मेडिकल स्टोर संचालको को जारी किये गये पास मान्य रहेगें।

8. प्रतिबन्धित क्षेत्र में **चिकित्सा सेवाओं हेतु राजकीय/निजी चिकित्सालय पूर्ववत खुले रहेंगें।** निजी चिकित्सालय में कार्यरत चिकित्सकों/कार्मिकों को उनके निवास से चिकित्सालय आने एवं जाने के लिये जिला मुख्यालय पर ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा परिचय पत्र जारी किये जा सकेंगें, जो मान्य होगें।

9. **बैंकिंग सेवाओं हेतु बैंक खुले रहेंगें,** शाखा प्रबंधक द्वारा बैंक कार्मिकों को उनके निवास से बैंक एवं बैंक से उनके निवास आने–जाने के लिये परिचय पत्र जारी किये जा सकेंगें, जो मान्य होगें।

10. **पोस्ट ऑफिस एवं टेलिकॉम सेवाओं हेतु उनके कार्यालय खुले रह सकेंगें** एवं उनके अधिकारियों/कर्मचारियों को आवागमन हेतु उनके संस्था प्रधान द्वारा जारी किये जा सकेगें, जो मान्य होगें।

11. **पशुओं एवं गौशालाओं के लिये चारा/आहार की व्यवस्थार्थ यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा।**

12. निषेधाज्ञा अवधि के दौरान प्रतिबन्धित क्षेत्र में **संचालित पेट्रोल पम्प, गैस एजेन्सियों एवं केबल ऑपरेटर्स की सेवायें सुचारू रह सकेगी,** साथ ही पेट्रोल पम्प/केबल संचालन संचालन एवं गैस एजेन्सियों द्वारा डोर–टू–डोर गैस सिलेण्डर उपलब्ध कराने हेतु उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किये गये पास मान्य रहेगें।

13. यह प्रतिबंध **प्रशासनिक कार्मिक, चिकित्सा कार्मिकों, सफाई कर्मियों, FCI कार्मिकों, कानून एवं व्यवस्था के लिए नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों, तथा पुलिस एवं सुरक्षा बल पर लागू नहीं होगा।**

14. समस्त धार्मिक स्थलो में आमजन व दर्शनार्थियो पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

15. पुलिस विभाग, रसद विभाग एवं चिकित्सा विभाग द्वारा कालाबाजारी, जमाखोरी एवं मूल्य वृद्धि के विरूद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जा सकेगी।

16. जिले में किसी भी नागरिक द्वारा किसी भी प्रकार की अफवाह किसी भी माध्यम से नहीं फैलायीं जावेगी। आदेशों का उल्लघंन करने पर विधिक प्रावधानो के तहत नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी।

.... 3

17. राज्य सरकार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय–समय पर कोरोना वॉयरस के संबंध में जारी प्रतिबन्धात्मक निर्देशो की पालना पुलिस विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियो/कर्मचारियो एवं उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट द्वारा तत्काल सुनिश्चित की जावेगी। उक्त संबंध में जिला स्तरीय अन्य समस्त विभागो द्वारा आवश्यक सहयोग करेगें।
18. इस आदेश में उल्लेखित कर अधिकृत किये गये पास के अतिरिक्त आम नागरिकों को पूर्व में जारी किये गये समस्त पास तत्काल प्रभाव से अमान्य घोषित किये जाते हैं। निषेधाज्ञा अवधि के दौरान सक्षम स्तर से जारी किये जाने वाले रंगीन पास की प्रति/सूचना तत्काल जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा को भिजवाई जानी अनिवार्य होगी।
19. **"The Rajasthan Epidemic Dieases Act, 1957, National Disaster Manegment Act 2005,** चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 12/03/2020 में उल्लेखित प्रावधानो तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशो की पालना जिले के समस्त नागरिको द्वारा की जावेगी। समस्त जिला स्तरीय अधिकारी/कार्मिको द्वारा इसमे आवश्यक सहयोग किया जावेगा।
20. उक्त आदेश में वर्णित निर्देशों के साथ–साथ इस कार्यालय द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत पूर्व में जारी निषेधाज्ञाओं में प्रदत्त निर्देशो की सर्व–साधारण को अक्षरशः पालना सुनिश्चित किये जाना अनिवार्य एवं आवश्यक होगा।
21. उक्त जारी निषेधाज्ञा की पूर्ण एवं सख्ती से पालना का दायित्व पुलिस उप अधीक्षक, उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट गुलाबपुरा एवं तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, हुरडा का होगा।

मैं, जिले के सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश देता हूँ। यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त प्रतिबन्धात्मक आदेशों का उल्लघंन करेगा, तो वह भारतीय दण्ड़ संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं **"The Rajasthan Epidemic Dieases Act, 1957, National Disaster Manegment Act 2005** एवं अन्य सु–संगत विधिक प्रावधानो के अर्न्तगत अभियोजित किया जा सकेगा।

चूंकि विद्यमान परिस्थितियों में इस आदेश की व्यक्तिशः तामील कराया जाना सम्भव नहीं हैं। अतः एक पक्षीय आदेश जारी किया जाकर सर्वसाधारण की जानकारी हेतु **उपखण्ड़ मुख्यालय की सम्पूर्ण शहरी सीमा क्षेत्र मे** मुख्य–मुख्य स्थानों पर इस आदेश को चस्पा कर, ध्वनि प्रसार यंत्रों एवं समाचार पत्रो के माध्यम से प्रचार–प्रसार कर नागरिकों को सूचित किया जावे।

यह आदेश **दिनांक 27.04.2020 को दोपहर 3.00 बजे से अग्रिम आदेश तक उपखण्ड मुख्यालय गुलाबपुरा की सम्पूर्ण शहरी सीमा क्षेत्र में** प्रभावी रहेगा।

(राजेन्द्र भट्ट)
जिला मजिस्ट्रेट,
भीलवाडा

प्रतिलिपि – निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

01. मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर
02. अति0 मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0, जयपुर
03. अति0 मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान–जयपुर
04. संभागीय आयुक्त, अजमेर

05. महानिरीक्षक, पुलिस रेंज, अजमेर
06. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, राजस्थान
07. जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाडा को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश संबंधित समस्त पुलिस अधिकारियों को पालना सुनिश्चित करने हेतु भेजा जावें।
08. अति0 जिला मजिस्ट्रेट, (प्रशासन/शहर) भीलवाडा
09. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाडा
10. समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जिला भीलवाड़ा
11. समस्त उप पुलिस अधीक्षक, जिला भीलवाडा
12. समस्त जिला स्तरीय अधिकारी, जिला भीलवाड़ा को आदेश की पालना सुनिश्चित करने हेतु।
13. समस्त तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिला भीलवाड़ा
14. विकास अधिकारी पंचायत समिति, हुरड़ा को भेजकर लेख है कि धार्मिक एवं सार्वजनिक स्थलो पर लाउड स्पीकर के माध्यम से लोगो को एकत्र नही होने की सलाह देने की व्यवस्था की जावे।
15. सहायक निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क कार्यालय, भीलवाडा को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु।
16. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, गुलाबपुरा को भेजकर लेख है कि धार्मिक एवं सार्वजनिक स्थलो पर लाउड स्पीकर के माध्यम से लोगो को एकत्र नही होने की सलाह देने की व्यवस्था की जावे।
17. अति0 निजी सचिव, जिला कलक्टर, भीलवाड़ा
18. थानाधिकारी गुलाबपुरा को प्रेषित कर लेख है कि ध्वनि प्रसारण यंत्रों के माध्यम से आदेश को जन साधारण को सूचित किये जाने हेतु। (द्वारा – जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा)
19. नोटिस बोर्ड, कार्यालय जिला कलक्टर/पुलिस अधीक्षक/समस्त उपखण्ड/समस्त तहसील

जिला मजिस्ट्रेट,
भीलवाड़ा।